Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 82 रायपुर, गुरुवार 17 अप्रैल 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन पूछताछ शिकोहपुर भूमि घोटाले मामले में ईडी ने पूछे सवाल

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। जाने-माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। इससे पहले दो दिनों में रॉबर्ट वाड्रा से करीब साढ़े 11 घंटे (पहले दिन छह घंटे और दूसरे दिन साढ़े पांच घंटे) तक पूछताछ हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2008 के शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रहा है। बीते दिन वाड्रा प्रियंका के साथ ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। आज भी प्रियंका उनके साथ मौजूद हैं। पूछताछ के दौरान प्रियंका ईडी दफ्तर में ही मौजूद रहीं। पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, ...मैं सभी सवालों के जवाब दे चुका हूं। 2019 में भी यही सवाल पूछे गए थे। यह कोई नई बात

नहीं है। यह इस सरकार का प्रचार करने का तरीका है, उनका दुरुपयोग करने का तरीका है। हमारे पास इसका सामना करने की ताकत है और हम ऐसा करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, यह भाजपा का राजनीतिक प्रचार है कि सोनियाऔर राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुझे उसी दिन तलब किया गया। इसलिए वे मीडिया के माध्यम से यह दिखा रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जनता जागरूक है, वे सब कुछ जानती और समझती है। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता, इससे हम और मजबूत होते हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अगर वे कुछ गलत करके दिखाना या करना चाहते हैं, तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी की ओर से उन्हें भेजे गए समन और पूछताछ पर वाड्रा ने कहा, अगर मैं राजनीति में आता, जो कि सभी चाहते हैं, तो वे (भाजपा) या तो वंशवाद की बात करेंगे या ईडी का दुरुपयोग करेंगे। यह मुश्किल तब शुरू हुई, जब कुछ दिन पहले मैंने अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर संदेश दिया। यह और कुछ नहीं है। जब से मैंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं, तब से यह मुश्किल शुरू हो गई, लेकिन ईडी के समन का कोई आधार नहीं है।

गट्टाकाल के जंगल से 5 किलो का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद, जवानों ने किया डिफ्यूज

नारायणपुर, 17 अप्रैल (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है. सर्चिंग अभियान के दौरान गट्टाकाल के जंगल से पांच किलो वजनी कुकर प्रेसर आईईडी बरामद किया गया है। नक्सलियों ने यह आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया था। दरअसल, पुलिस अधीक्षक नारायणपुर प्रभात कुमार ने माओवादियों के लगाये गये आईईडी विस्फोट की घटना से हो रही नुकसान को देखते हुए क्षेत्र में आईईडी खोजने के लिए बीडीएस टीम को अगल-अलग क्षेत्रों में भेजा जा रहा है. इस दौरान नक्सलियों के द्वारा लगाये गये आईईडी को बरामद कराया जा रहा. इसी कड़ी में 15 अप्रैल को थाना कोहकामेटा क्षेत्रान्तर्गत

कैम्प मोहंदी से जिला पुलिस बल, 53वीं वाहिनी आईटीबीपी और बीडीएस के संयुक्त बल एरिया डॉमिनेशन पर ग्राम गट्टाकाल और आसपास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। इस दौरान गट्टाकाल के जंगल पहाड़ी रास्ते में 5 किलो का 1 कुकर आईईडी बरामद किया गया. सुरक्षाबलों की सतर्कता के चलते आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया गया. माओवादियों द्वारा उक्त आईईडी को सुरक्षा बलो को नुकसान पहुंचाने के नीयत से लगाया गया था. वर्ष 2025 में अब तक कुल 16 से अधि आईईडी जब्त किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि नक्सली क्षेत्र में लगातार हिंसा फैलाने की फिराक में हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

गुजरात के पाटन जिले में भीषण सड़क हादसा; बस और ऑटोरिक्शा की टक्कर, छह लोगों की मौत

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। गुजरात के पाटन जिले में गुरुवार को एक ऑटोरिक्शा और राज्य परिवहन की बस के बीच टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना सुबह करीब 11.30 बजे सामी-राधनपुर राजमार्ग पर सामी गांव के पास हुई। पाटन जिले के पुलिस अधीक्षक वीके नई ने बताया कि राज्य परिवहन की बस हिम्मतनगर से कच्छ की ओर जा रही थी, जबकि तिपहिया वाहन विपरीत दिशा से आ रहा था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाएंगे अमेरिका, ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। इस दौरान वे ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। वे संकाय सदस्यों और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका के रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी जाएंगे। वहां वे भाषण देंगे। विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों से कई मुद्दों पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि रोड आइलैंड जाने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता एनआरआई समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछ रही है क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे ?
चुहिया- हां जी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे!

सीआरपीएफ की अमित शाह ने जमकर की सराहना, बोले- 31 मार्च 2026 तक देश से खात्म हो जाएगा नक्सलवाद

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) तथा सीआरपीएफ इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। वह मध्य प्रदेश के नीमच जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 86वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और सीएपीएफ तथा सीआरपीएफ, खासकर इसकी कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन) इकाई इसमें अहम भूमिका निभाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच में 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में परेड दल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में जब अशांति होती है, तो गृहमंत्री के नाते जब मुझे पता चलता है कि वहां

सीआरपीएफ के जवान हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं अपने दूसरे काम भी करता हूं क्योंकि मुझे भरोसा है कि अगर सीआरपीएफ के जवान हैं, तो सीआरपीएफ के जवानों की जीत निश्चित है। चाहे कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ना हो या पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने के लिए मौजूद रहना हो, और सबसे महत्वपूर्ण नक्सलवादियों को सिर्फ चार जिलों तक सीमित करना हो - इन सभी चीजों में सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है।

शरीयत नहीं, उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम सुनवाई, केंद्र और केरल को नोटिस

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक की ओर से दायर शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग वाली याचिका का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी करके याचिका पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केरल के त्रिशूर जिले के निवासी नौशाद केके की याचिका पर संज्ञान लिया। याचिका में कहा गया था कि नौशाद इस्लाम धर्म छोड़े बिना शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत शासित होना चाहते हैं।

पीठ ने इस याचिका को इस मुद्दे पर लंबित समान मामलों के साथ संलग्न करने का आदेश दिया। इससे पहले पिछले वर्ष अप्रैल में पीठ ने अलप्पुझा

निवासी और एक्स-मुस्लिम्स ऑफ केरल की महासचिव सफिया पीएम की याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी। मुस्लिम महिला ने याचिका में कहा था कि वह इस्लाम को नहीं मानती, लेकिन अभी भी उसने आधिकारिक रूप से इस्लाम को नहीं छोड़ा है। वह चाहती है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उसे धर्म का अधिकार मिले और साथ ही धर्म पर विश्वास न करने का भी अधिकार मिले।

2016 में कुरान सुन्नत सोसाइटी की ओर से दायर की गई इसी तरह की एक अन्य याचिका भी शीर्ष अदालत में लंबित है। अब तीनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को ड्राइवरों के कार्य घंटे लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों की बैठकें बुलाने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे मामले भी हैं जहां सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल मदद नहीं मिल पाती। कई बार पीड़ित घायल तो नहीं होते, लेकिन वाहनों में फंस जाते हैं। हमारा मानना है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल अपनाने पर काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए छह महीने का समय दिया। यह आदेश अधिवक्ता किशन चंद जैन द्वारा दायर एक आवेदन पर आया। इसमें अपील की गई थी कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए।

आप नेता दुर्गेश पाठक के आवास पर सीबीआई ने मारा छापा आप का दावा- गुजरात में पार्टी के विकास से डरी बीजेपी

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने गुरुवार सुबह आप नेता दुर्गेश पाठक के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि यह तलाशी एजेंसी द्वारा दर्ज एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के कथित उल्लंघन के मामले से संबंधित है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को दावा किया कि पिछले गुजरात चुनाव के दौरान भी यही हुआ

था, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आप के नेताओं को गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, पिछले गुजरात चुनावों के कारण, भाजपा की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और अब जब दुर्गेश पाठक को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है तो आज सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा है। आप के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने कहा कि सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के आवास पर छापा तब मारा जब उन्हें गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सह-प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि छापेमारी से संकेत मिलता है कि भाजपा आप को राज्य में बढ़ते खतरे के रूप में देखती है। पाठक ने एक्स पर पोस्ट किया, गुजरात चुनाव 2027 के लिए सह-प्रभारी नामित किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के आवास पर आज सुबह सीबीआई की छापेमारी एक जोरदार संदेश देती है कि भाजपा स्पष्ट रूप से आप को गुजरात में बढ़ते खतरे के रूप में देखती है और इसके बढ़ते प्रभाव से घबरा गई है।

स्टालिन ने किया विरोध तो फडणवीस ने अपनाया महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिन्दी होगी अनिवार्य

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। भाषा विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पेश किया जाएगा। बुधवार

को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के माध्यम से निर्णय सार्वजनिक किया गया। अभी तक, तीन-भाषा सूत्र केवल माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लागू किया गया है। इस कदम के साथ, यह सूत्र अब मराठी-माध्यम और अंग्रेजी-माध्यम विद्यालयों में भाषाई ढांचे को नया रूप देने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा तक विस्तारित होगा। नए अपनाए गए राज्य पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार, दोनों माध्यमों के छात्रों को कक्षा 1 से ही हिंदी सीखना शुरू करना होगा। मराठी या अंग्रेजी के अलावा अन्य शिक्षण माध्यम वाले स्कूलों के लिए मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य हो जाएंगे, जबकि संबंधित शिक्षण माध्यम तीसरी भाषा के रूप में काम करेगा।

मतदाता सूची में सुधार के लिए महज 89 अपील की गई चुनाव आयोग ने खारिज किया हेराफेरी का विपक्ष का आरोप

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेराफेरी के विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मतदाता सूची में सुधार के लिए महज 89 अपील ही की गई। दरअसल, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची पर विस्तृत चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों के दोहराव का दावा किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की मतदाता सूची में करीब 30 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाता सूची

में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। अब चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, 6-7 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेष सारांश संशोधन के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत शायद ही कोई पहली या दूसरी अपील की गई हो या मतदाता सूची (धारा 22) या समावेशन (धारा 23) में किसी प्रविष्टि में सुधार किया गया हो। विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) में मतदाता सूची की समीक्षा करना और मतदाता सूची का मसौदा जारी करना शामिल है। यह अक्सर चुनावों से पहले कराया जाता है। इसका मकसद नए पात्र मतदाताओं को जोड़कर एक न्यायसंगत और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया को बनाए रखना है। इसमें 18 साल के हो चुके लोग या अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलने वाले लोग शामिल हैं। इसमें डुप्लिकेट और मृत मतदाताओं को हटाना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र में सिर्फ 89 अपील दर्ज की गईं। देश में 13,857,359 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) थे और मतदाता सूची में बदलाव के लिए केवल 89 अपील की गईं। इसलिए जनवरी 2025 में एसएसआर के पूरा होने के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियों को निर्विवाद रूप से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों का आगे कहना है कि आरपी अधिनियम 1950 की धारा 24 को 20 सितंबर, 1961 को जोड़ा गया था, जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के जन्म से बहुत पहले की बात है। सूत्रों के मुताबिक, अगर कोई कहता है कि जिस मतदाता सूची पर मतदान हुआ है वह सही नहीं है, तो उन्होंने 1961 में सरकार की ओर से प्रस्तावित और 1961 में संसद की ओर से पारित चुनाव कानून का पालन करने की भी परवाह नहीं की है। अगले कुछ महीनों में बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने के आसार हैं। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कई बार कहा है कि ईपीआईसी नंबरों के दोहराव का मतलब डुप्लीकेट या फर्जी मतदाता नहीं है।

थंबीदुरई का बड़ा बयान, तमिलनाडु में गठबंधन सरकार का चलन नहीं, अन्नाद्रमुक अकेले संभालेगी सत्ता

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (न्यूज चैनल)। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद एम. थंबीदुरई ने कहा है कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार के लिए कोई जगह नहीं है और अगर उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में जीतती है, तो एडप्पाडी के. पलानीस्वामी अकेले सरकार बनाएंगे। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए थंबीदुरई ने साफ किया कि भले ही भाजपा उनके गठबंधन में शामिल हो, लेकिन सत्ता में साझेदारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में आज तक कभी गठबंधन सरकार नहीं बनी है। चाहे वो कांग्रेस के नेता सी. राजगोपालाचारी, के. कामराज, या द्रविड़ नेता एम.जी. रामचंद्रन

अ ौ र करुणानिधि हों सभी ने अकेले सरकार चलाई है। थंबीदुरई ने कहा कि 2026 में भी एडप्पाडीयार (पलानीस्वामी) अकेले सरकार बनाएंगे। गठबंधन सरकार की कोई जरूरत नहीं है और न ही इसकी परंपरा है। तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार को लेकर इससे पहले बुधवार को एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने भी इस बात को दोहराया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी यह नहीं कहा कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार बनेगी। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया ने बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। अमित शाह ने सिर्फ यह कहा था कि एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन चुनाव जीतेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मिलकर सरकार चलाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही पार्टियां चुनावों में गठबंधन करती रही हैं, लेकिन अब तक किसी ने अपने सहयोगी दलों को सरकार में भागीदार नहीं बनाया है। सत्ता में आने के बाद हमेशा मुख्य पार्टी ने अकेले ही सरकार चलाई है।